अध्याय 29

चिकित्सा क्षतिपूर्ति नियम
(Medical Re-imbursement Rules)

शासन द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु संविधान में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत नियम बनाए गए हैं। ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 8 जून, 1973 भाग-4 (ए) में प्रकाशित किए गए हैं।

चिकित्सा देयकों का समय सीमा में निराकरण करने हेतु म.प्र. शासन वि.वि. क्र. एफ 4/2015/नि./चार दिनांक 27 अप्रैल 2015 द्वारा निर्देश जारी किये गए हैं।

(1) पात्रता-

(1) राज्य शासन के नियंत्रणाधीन समस्त शासकीय सेवक जब वे मध्यप्रदेश के भीतर कर्त्तव्य पर हों, प्रतिनियुक्ति पर हों, छुट्टी पर हों या निलंबनाधीन हों, निः शुल्क उपचार के पात्र होंगे।

(2) संविदा के आधार पर नियोजित शासकीय कर्मचारी।

(3) प्रशिक्षणाधीन या कर्त्तव्यस्थ नगर सैनिक।

(4) आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले पूर्णकालिका कर्मचारी।

(5) समस्त विभागों या राज्य शासन द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं में मासिक वेतन पर नियोजित कार्यभारित स्थापना के सदस्य (नियम 1 (2))।

(2) चिकित्सा हेतु परिवार में कौन-कौन सम्मिलित हैं-

(1) शासकीय कर्मचारी की पत्नी या उसका पति।

(2) शासकीय कर्मचारी के साथ रहने वाले और उस पर पूर्णतः आश्रित, माता-पिता, धर्मज संतान, जिसमें विधिक रूप से गोद ली गई संतान तथा सौतेली संतान सम्मिलित हैं। (नियम-2 (घ)

(3) विधिवत तलाकशुदा पुत्री यदि शासकीय सेवक पर पूर्णतः आश्रित हो।
(म. प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य विभाग क्र. 5549/4214/XVII/Med. III दिनांक 25-8-64)

टीप- शासकीय सेवक पर आश्रित उसके परिवार के सदस्य यदि शिक्षा, इलाज या अन्य सुविधा की दृष्टि से शासकीय सेवक के मुख्यालय पर न रहकर अलग निवास करते हों तो भी उसे चिकित्सकीय व्यय पर हुए खर्चे की प्रतिपूर्ति की जावेगी।
(म. प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य विभाग क्र. 2273/1697/XVII/Med. III दिनांक 5-5-60)

(4) विवाहित महिला कर्मचारियों के मामले में उसके माता-पिता जो उस पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं, बशर्ते महिला कर्मचारी इस बाबत घोषणा पत्र दे।
(म. प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग क्र. एफ 2/60/1980/XVII/Med. 3, दिनांक 23-2-1981)
परंतु जहाँ किसी कर्मचारी के तीन या अधिक बच्चे जीवित रहते हुए कोई अन्य

Scanned by CamScanner

एक में अनेक

बच्चा पैदा हो तो वहाँ इस प्रकार पैदा हुए अतिरिक्त बच्चा इन नियमों के अधीन रियायतें पाने का हकदार नहीं होगा।

(उक्त परन्तुक म. प्र. शासन लोक स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4626/1037/XVII/Med. III, दिनांक 27-9-1969) द्वारा जोड़ा गया जो एक वर्ष पश्चात् अर्थात् दिनांक 27-9-1970 से लागू हुआ है।)

परन्तु यदि तीसरी प्रसूति में जुड़वां पैदा होता है तो उसे चिकित्सा सुविधा पाने की पात्रता होगी।

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग क्र. 128/2764/17 में-4, दिनांक 24-1-1992)

पूर्णतः आश्रित के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण- म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 1958 के नियम 2 में खण्ड (घ) उपखण्ड (दो) के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाय''

स्पष्टीकरण- पूर्णतः स्रोतों से कुल वार्षिक आय शासन द्वारा इन नियमों के प्रयोजन के लिए यथा विनिश्चित आय सीमा के भीतर हो (म.प्र. शासन लो.स्वा. एवं परि.क.वि. की अधिसूचना क्र. एफ-9-1-14-सत्रह-मेडि-3 दिनांक 14 मार्च 2014)

(3) मान्य चिकित्सा प्रणाली-

कोई भी शासकीय सेवक एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली के बजाय आयुर्वेदिक, यूनानी, होमेयोपैथिक अथवा बायोकैमिक चिकित्सा प्रणालियों में से किसी एक प्रणाली में चिकित्सा करवा सकता है और इस चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति उसी रीति और उसी सीमा तक की जावेगी। जो नियमों में निर्धारित है।

ऐसी औषधियों के चिकित्सा देयक पर प्राधिकृत चिकित्सकीय परिचारक के हस्ताक्षर पर तथा परिशिष्ट के बाहर की औषधियों के मामलों में प्राचार्य/आयुर्वेद के संभागीय अधिकारी/ औषधालय के अधीक्षक के हस्ताक्षरीय स्वीकार किए जावेंगे।

ऐसे औषधालयों का प्रभारी वैद्य, हकीम या होमेयोपैथिक अथवा बायोकैमिक डॉक्टर प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी होगा। (नियम 12)

(4) राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों के राज्य के बाहर निजी चिकित्सा संस्थानों में उपचार कराने की अनुमति/ कार्योत्तर स्वीकृति हेतु संभाग स्तर पर अधिकारों का विकेन्द्रीकरण।

वर्तमान में राज्य के बाहर स्थित मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में उपचार हेतु अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय स्तर पर गठित रेफरल कमेटी की अनुशंसा के उपरांत संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा उपचार कराने की स्वीकृति जारी की जाती है तथा संबंधित चिकित्सालय का एस्टीमेट प्राप्त होने पर चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा बीमारियों के लिये निर्धारित प्रतिपूर्ति सीमा/प्रस्तुत एस्टीमेट में, जो कम हो, का 80 प्रतिशत अग्रिम स्वीकृति की अनुशंसा संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा की जाती है। उक्त कार्य हेतु अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय को अधिकृत किया जाता है। अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय ऐसे

Scanned by CamScanner

प्रकरणों का परीक्षण उनकी अध्यक्षता में पूर्व से गठित समिति के समक्ष करेंगे तथा रेफरल पत्र जारी करेंगे, जिसकी प्रति संचालक, चिकित्सा शिक्षा एवं संबंधित विभाग तथा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को देंगे। साथ ही आवेदक द्वारा संबंधित चिकित्सालय का एस्टीमेट प्रस्तुत करने पर चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा बीमारियों के लिये निर्धारित प्रतिपूर्ति सीमा/ प्रस्तुत स्टीमेट में, जो कम हो, का 80 प्रतिशत अग्रिम स्वीकृति की अनुशंसा अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय जारी करेगा।

2. कार्यालय स्वीकृति संबंधी प्रकरण जो आवेदक द्वारा प्रस्तुत करने पर उसके संबंधित नियंत्रणकर्ता अधिकारी/प्रशासकीय विभाग/विभागाध्यक्ष के माध्यम से संचालक, चिकित्सा शिक्षा को प्राप्त होने के पश्चात् प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निराकृत किये जाते हैं। ऐसे सभी कार्योत्तर स्वीकृति संबंधी प्रकरणों के निराकरण हेतु संभाग स्तर पर निम्नानुसार कार्योत्तर समिति का गठन किया जाता है :-

1.	संभागीय आयुक्त	अध्यक्ष
2.	अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय	सदस्य सचिव
3.	अधिष्ठाता द्वारा अधिकृत विभागाध्यक्ष	सदस्य
4.	संभागीय आयुक्त संचालक कोषो एवं लेखा	सदस्य
5.	संभागीय आयुक्त द्वारा नामांकित उपायुक्त	सदस्य
6.	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें	सदस्य

उच्च समिति निम्नानुसार कार्य करेगी :-

1. चंबल संभाग एवं ग्वालियर संभाग के प्रकरणों को ग्वालियर संभाग में गठित कार्योत्तर समिति, उज्जैन संभाग एवं इंदौर संभाग के प्रकरणों को इन्दौर संभाग में गठित कार्योत्तर समिति, नर्मदापुरम संभाग एवं भोपाल संभाग के प्रकरणों को भोपाल संभाग में गठित कार्योत्तर समिति, शहडोल संभाग एवं रीवा संभाग के प्रकरणों को रीवा संभाग में गठित कार्योत्तर समिति द्वारा निराकरण किया जायेगा।

2. उक्त कार्योत्तर समिति में प्रकरण अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा परीक्षण उपरांत रखे जावेंगे तथा कार्योत्तर समिति में लिये गये निर्णयानुसार इस विभाग द्वारा निर्धारित पैकेज की सीमा तक की राशि की अनुशंसा आदेश अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी किये जावेंगे।

3. शासन द्वारा निर्धारित पैकेज से अधिक शेष राशि के प्रकरणों के संबंध में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति की अनुशंसा के साथ अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रस्ताव संचालक, चिकित्सा शिक्षा को अविलंब भेजेंगे।

4. राज्य स्तरीय कार्योत्तर समिति में उन प्रकरणों पर विचार किया जावेगा, जिनमें संभाग स्तरीय समिति को किसी प्रकार की कठिनाई हो या कोई मार्गदर्शिन अथवा अभिमत चाहा गया हो। यह सभी प्रकरण संचालक, चिकित्सा शिक्षा के माध्यम से प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रतिमाह प्रस्तुत किये जावेंगे।

Scanned by CamScanner

5. संभाग स्तरीय कार्योत्तर समिति की बैठक प्रत्येक माह की एक से दस तारीख के बीच अनिवार्यतः आयोजित की जावेगी तथा इस बैठत में अद्यतन सभी प्रकरणों पर विचार किया जायेगा। उक्त समिति की बैठक आवश्यकतानुसार एक माह में एक से अधिक बार भी आयोजित की जा सकेगी।

6. शासकीय कर्मचारियों के द्वारा राज्य के बाहर निजी संस्थाओं में कराये गये उपचार की कार्योत्तर स्वीकृति की बैठकों का कार्यवाही विवरण प्रतिमाह संभाग स्तरीय कार्योत्तर समिति के सदस्य सचिव अर्थात् अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय संचालक, चिकित्सा शिक्षा को भेजेंगे एवं अभिलेख/पंजी संचालक, चिकित्सा शिक्षा एवं अधिष्ठाता के कार्यालय में संधारित किए जायेंगे।

7. उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील रहेगा।

(म.प्र.शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग परिपत्र क्र. एफ- 4-231-2013/2/पचपन दिनांक 28 मई 2013)

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त, 2013

आदेश

क्रमांक-एफ 9-9/13/17/मेडि.-3.- राज्य के शासकीय अस्पतालों एवं राज्य के अंदर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में शासकीय सेवक एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों को उपचार हेतु रैफर करने एवं उपचार की अनुमति देने के संबंध में संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश/पत्र क्रमांक 4/एम.आर./2002/1826, दिनांक 04-09-2002 व पत्र क्रमांक 4/एम.आर./2009/1541, दिनांक 29-05-2009 को अधिक्रमित करते हुए व्यवस्था के सरलीकरण/विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य से निम्न दिशानिर्देश प्रसारित किए जाते हैं:-

(क) शासकीय चिकित्सालय में उपचार कराने हेतु :-

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 के नियम 4(1) में प्रावधान है कि शासकीय कर्मचारी चिकित्सालय में निःशुल्क उपचार का हकदार होगा। वर्तमान में राज्य में राज्य शासन द्वारा संचालित चिकित्सालयों/चिकित्सा महाविद्यालयों के अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा भी चिकित्सालय यथा- एम्स, भोपाल व बी.एम.एच.आर.सी. भोपाल संचालित हैं।

शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा राज्य में संचालित चिकित्सालयों में उपचार कराने हेतु रैफरल अथवा उपचार अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) राज्य के अन्दर शासन से मान्यता प्रापन्त निजी चिकित्सालय में उपचार कराने हेत रैफरल व्यवस्था एवं उपचार अनुमति :-

Scanned by CamScanner

1. राज्य के अंदर शासन से मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय में उपचार कराने के लिए रैफरल एवं उपचार अनुमति जिला स्तर पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा दी जाएगी। इस बोर्ड में सिविल सर्जन एवं मेडिसिन तथा सर्जरी विषय के विशेषज्ञ/स्नातकोत्तर चिकित्सक सम्मिलित होंगे। यह बोर्ड आवश्यकतानुसार प्रकरण विषयक बीमारी से संबंधित विषय विशेषज्ञ/स्नातकोत्तर चिकित्सक को परामर्श हेतु आमंत्रित कर सकेगा। केवल उन्हीं जांच/उपचार की सुविधायें जो जिला चिकित्सालयों/शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालयों में उपलब्ध नहीं हैं, के लिए बोर्ड द्वारा रैफरल किया जा सकेगा। रैफरल उपरांत उपचार अनुमति सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा जारी की जावेगी।
2. संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालयों में उपलब्ध जांच/उपचार की सुविधाओं की सूची उपलब्ध कराई जावेगी। उनके द्वारा यह सूची वेबसाइट पर भी अपलोड कराई जायेगी।
3. शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को राज्य के अंदर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय की अध्यक्षता में गठित रैफरल समिति द्वारा रेफर किये जाने की वर्तमान समानांतर व्यवस्था यथावत् रहेगी।

(ग) राज्य के अंदर शासकीय एवं शासन के मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु अग्रिम स्वीकृति हेतु वर्तमान व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण एवं सरलीकरण :-

1. वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक/जी-3/2/94/सी/चार, दिनांक 08-12-1994 द्वारा उपचार हेतु अनुमानित चिकित्सा व्यय का 80 प्रतिशत अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने का प्रावधान है।
2. वर्तमान में अग्रिम की अनुशंसा राज्य स्तर से संचालक स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा संबंधित विभाग को की जाती है। अब इस व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण कर वित्त विभाग के उक्त ज्ञाप द्वारा निर्धारित मापदण्डों के तहत चिकित्सा अग्रिम की अनुशंसा करने के लिए इस आदेश की कंडिका (ख-1) में गठित जिला मेडिकल बोर्ड को एतद् द्वारा अधिकृत किया जाता है। बोर्ड के अनुमोदन उपरान्त जिले के सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा राज्य शासन के निर्धारित पैकेज अथवा निजी चिकित्सालय द्वारा प्रस्तुत एस्टीमेट, जो भी कम हो, की 80 प्रतिशत सीमा तक चिकित्सा अग्रिम की अनुशंसा संबंधित जिले के कार्यालय प्रमुख/विभाग प्रमुख को की जा सकेगी।

(घ) शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को राज्य के अंदर निजी चिकित्सा संस्थाओं में कराये गये उपचार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की

Scanned by CamScanner

कार्योत्तर स्वीकृति :-

1. म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ-9-2/2006/17/मेडि-3, भोपाल दिनांक 20-02-2006 द्वारा उपचार शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को राज्य के अंदर निजी चिकित्सा संस्थाओं में कराये गये उपचार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की कार्योत्तर स्वीकृति के अधिकार संभाग स्तर पर दिये गये हैं। यह व्यवस्था यथावत् रहेगी।
उक्त व्यवस्था आदेश जारी करने की तिथि से प्रभावशील होगी।

(5) मान्य चिकित्सालय

राज्य के बाहर उपचार हेतु मान्यता प्राप्त शासकीय/निजी चिकित्सालयों की सूची

क्र.	चिकित्सालय का नाम	शहर का नाम	बीमारी का नाम	मान्यता अवधि
1.	ए.आई.आई.एम.एस. (ऐम्स)	नई दिल्ली	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
2.	जी.बी.पन्त चिकित्सालय	नई दिल्ली	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
3.	एल.एन.टी.पी. चिकित्सालय	नई दिल्ली	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
4.	के.ई.एम. हॉस्पीटल	मुम्बई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
5.	जसलोक चिकित्सालय	मुम्बई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
6.	बी.वाय.एल. नायर चिकित्सालय	मुम्बई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
7.	टाटा मेमोरियल	मुम्बई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की	लगातार

Scanned by CamScanner

चिकित्सालय		जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	
8. नानावटी चिकित्सालय	मुम्बई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
9. पुण्डालिया कार्डियोथेरोसिक फाउण्डेशन	चेन्नई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
10. अपोलो हॉस्पीटल	चेन्नई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
11. शंकर नेत्रालय	चेन्नई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
12. निजाम इंस्टीट्यूट	हैदराबाद	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
13. यशोदा हॉस्पीटल	हैदराबाद	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
14. बी.एच.यू. (बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी)	वाराणसी	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
15. सी.एम.सी. (क्रिस्चयन मेडिकल कालेज)	वेल्लोर	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
16. एस.जी.पी.जी.आई.	लखनऊ	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
17. साउथन रेल्वे चिकित्सालय	बरमपुर	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
18. पी.जी.आई.	चण्डीगढ़	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय	

Scanned by CamScanner

		जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	
19. श्रीचित्रा इंस्टीट्यूट	त्रिवेन्द्रम	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
20. निम्हांस हॉस्पीटल	बैंगलोर	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
21. अपोलो हास्पीटल	हैदराबाद	हृदयरोग, एंजियोग्राफी, एंजियो-प्लास्टी बीएमवी एवं कार्डियोथे-रोसिक सर्जरी, सीएबीजी, वाल्व रिप्लेसमेंट, कांगनीटल कार्डियक सर्जरी एण्ड वास्कुलर सर्जरीज	7.9.2017
22. मेदान्ता दे मेडिसिटी	गुड़गांव हरियाणा	हृदयरोग, एंजियोग्राफी, एंजियो-प्लास्टी एण्ड अदर कार्डियक एण्ड कार्डियोथेरोसिक सर्जसी एण्ड मल्टीडिसीप्लीनरी क्रिटिकल केयर	7.6.2017
23. अरनेजा हार्ट इंस्टीट्युट	नागपुर	हृदयरोग, कार्डियोलाजी (एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी एण्ड अदर कार्डियोलाजी इन्टरवेंशन बीएमवी/पीपीआई) एण्ड कार्डियोथेरोसिक सर्जरी एज वेल एज एसोसिएट क्रिटिकल केयर	27.11.2017
24. सेन्ट्रल इंडिया इंस्टीटयूट ऑफ हेमोटोलाजी एण्ड अंकोलाजी	नागपुर	हेमोटोलाजी एण्ड अंकोलाजी एवं समस्त कैंसर रोग की जाँच एवं उपचार	19.01.2018
25. बैंकर्स हार्ट इंस्टीटयूट	बड़ौदा गुजरात	हृदयरोग, कार्डियोथेरोसिक सर्जरी एण्ड मल्टी-डिसीप्लीनरी, क्रिटिकल केयर के उपचार हेतु	30.12.2016
26. कोलम्बिया कैंसर हास्पीटल एण्ड रिसर्च	नागपुर	कैंसर के उपचार एवं सम्बन्धितक्रिटिकल केयर	31.03.2016

Scanned by CamScanner

सेंटर		मैनेजमेंट के उपचार हेतु	
27. केयर हास्पीटल	नागपुर	कार्डियोलाजी एण्ड कार्डियोथे-रोसिक सर्जरी सर्विसेस लाईक आईसीसीयू इनपेशन्ट केयर, इनवेस्टीगेशन लाईक टीएमटी, कलर डाप्लर, होल्टर मानीटरिंग एण्ड कैथलेब के उपचार हेतु	08.09.2017
28. वेलकेयर हास्पीटल सेंटर फार नी एण्ड हिप सर्जरी	बड़ौदा गुजरात	टोटल नी एण्ड हिप रिप्लेसमेंट आर्थोस्कोपिक प्रोसीजर	07.06.2017
29. क्रीसेंट हास्पीटल एण्ड हार्ट सेंटर	नागपुर	कार्डियोलाडी (एंजियोग्राफी/ एंजियोप्लास्टी) एण्ड अदर कार्डियोलाजिकल इन्टरवेंशन लाईक बीएमवी, पीपीआई इत्यादि एण्ड कार्डियोथेरोसिक सर्जरी सर्विस एज वेल एज एसो-सिएट क्रिटिकल केयर एवं मल्टी डिसीप्लीनरी ट्रीटमेंट	18.08.2017
30. कोलम्बिया हास्पीटल एण्ड रिसर्च सेंटर	नागपुर	कार्डियोलाजी (एंजियोग्राफी/ एंजियोप्लास्टी) एण्ड अदर कार्डियोलाजिकल इन्टरवेंशन लाईक बीएमवी, पीपीआई इत्यादि एण्ड कार्डियोथेरोसिक सर्जरी सर्विस एज वेल एज एसो-सिएट क्रिटिकल केयर एवं मल्टी डिसीप्लीनरी ट्रीटमेंट	31.03.2017
31. डॉ. उल्हास पाटिल मेडिकल कालेज हास्पीटल	जलगाँव महाराष्ट्र	कार्डियोलाजी सर्विसेस एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, न्यूरोसर्जरी, आर्थोपेडिक सर्जरी एवं गायनोकालाजी	31.03.2016
32. श्योरटेक हास्पीटल एण्ड रिसर्च सेंटर	नागपुर	हृदयरोग (एंजियोग्राफी/एंजियो-प्लास्टी) एण्ड अदर कार्डियो-	25.02.2017

Scanned by CamScanner

		पीपीआई उपचार एण्ड कार्डियोथे-रोसिक सर्जरी मल्टी डिसीप्लीनरी क्रिटिकल केयर	
33. स्पन्दन हार्ट इंस्टीटयूट एण्ड रिसर्च सेंटर प्रा.लि.	नागपुर	कार्डियोलाजी (एंजियोग्राफी/ एंजियोप्लास्टी) एवं अन्य कार्डियोलाजिकल इन्टरवेंशन जैसे बीएमवी, पीपीआई, कार्डि-योथेरोसिक सर्जरी तथा कार्डि-योलाजी से सम्बन्धित क्रिटिकल केयर उपचार	03.02.2017
34. कुणाल हास्पीटल	नागपुर	न्यूरोसर्जरी, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं मल्टीडिसीप्लीनरी क्रिटिकल केयर	31.03.2017
35. चौधरी हास्पीटल फ्रेक्चर एक्सीडेंट आर्थोपेडिक नर्सिंग होम	नागपुर	आर्थोपेडिक, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, फ्रेक्चर एक्सीडेंट एण्ड स्पाईन सर्जरी एण्ड एसोसिएटेड इमरजेंसी	31.03.2018
36. श्रीकृष्ण हृदयालय एण्ड क्रिटिकल केयर सेंटर	नागपुर	कार्डियोलाडी (एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी एण्ड अदर कार्डि योलाजिकल इन्टरवेंशन लाईक बी.एम.वी. एवं पी.पी.आई.) एवं कार्डियोथेरोसिक सर्जरी	31.03.2017
37. व्होकार्ड हास्पीटल	नागपुर	हृदयरोग, हृदयसर्जरी, न्यूरो-सर्जरी, नेफ्रोलाजी एवं मल्टी-डिसीप्लीनरीक्रिटिकल केयर	31.03.2017

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा,
मध्यप्रदेश

[नोट- शासकीय सेवक एवं आश्रित सदस्यों के लिए जाँच तथा उपचार हेतु मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों की नवीनतम सूची के लिए अमर लॉ पब्लिकेशन "चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम 1958 संदर्भित करें]

Scanned by CamScanner

(6) उपचार-

शासकीय चिकित्सालयों में उपचार के दौरान प्रत्येक शासकीय सेवक चिकित्सालय में उपलब्ध समस्त चिकित्सा तथा/या शल्य चिकित्सा सुविधाओं का उपभोग बिना मूल्य कर सकेगा, इसमें सम्मिलित हैं-

(1) रोग विज्ञान (पैथालाजिक), जीवाणु विज्ञान (बैक्टीरियालाजिकल), एक्सरे विज्ञान (रेडियोलाजी)

(2) ऐसी औषधियों, टीकों (वैक्सीनों) सीरा तथा अन्य चिकित्सा पदार्थों की पूर्ति जो सामान्यतया चिकित्सालय में उपलब्ध है।

(3) ऐसी परिचर्या जिसकी सामान्यतः व्यवस्था चिकित्सालय द्वारा अन्तर्वासी रोगियों (Indoor Patients) के लिए की जाती है।

(4) रुधिराधान (खून देना)।

(5) परानील लोहित प्रकाश (बिजली से सिकाई)

(6) महिलाओं के मामले में-

(क) प्रसूति को दौरान उपचार में गर्भपात, स्राव उपचार तथा

(ख) डूश देना शामिल है। नियम 2 (झ)

(7) चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय की सीमा-

प्रत्येक शासकीय कर्मचारी चिकित्सा परिचर्या, उपचार तथा खुराक के संबंध में उसके द्वारा दिए गए व्यय की निम्नलिखित सीमा तक प्रतिपूर्ति पाने का हकदार होगा-

(1) औषधियों की खरीद पर हुआ व्यय-सम्पूर्ण

(2) मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति के लिए बीमारी की प्रारंभिक अवस्था में केवल 6 माह की अवधि तक और उसके पश्चात् केवल उस स्थिति में जबकि रोगी का रोग जटिल हो जाए और उसे चिकित्सालय में भर्ती कर दिया गया हो, इन्सुलिन की खरीद पर हुआ व्यय-सम्पूर्ण।

(3) आक्सीजन देने में हुआ व्यय-सम्पूर्ण

(4) रक्त खरीद पर हुआ व्यय-सम्पूर्ण।

(5) महिला शासकीय कर्मचारी द्वारा अपनी प्रसूति के दौरान किया उपचार करवाने में किया गया व्यय-सम्पूर्ण।

(6) चिकित्सालय में कमरा किराए पर लेने पर हुआ व्यय-

(अ) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में ..... सम्पूर्ण व्यय

(ब) अन्य मामले में- पचास प्रतिशत।

(7) शल्य क्रिया तथा रोग संबंधी (पैथालाजिकल) परीक्षण जीवाणु संबंधी (बैक्टीरिया-लाजिकल) परीक्षण, क्ष-किरण संबंधी तथा अन्य परीक्षणों पर जो कि प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा आवश्यक समझे जाएं और प्रमाणित किया जाए, पर किया गया

Scanned by CamScanner

निजी अस्पताल	[1]केन्द्र या राज्य शासन के अस्पताल में इलांज कराने पर प्रतिपूर्ति की सीमा
(1) ओपन हार्ट सर्जरी	रु. 2,50,000/-
(2) किडनी प्रत्यारोपण	रु. 4,00,000/-
(3) एन्जियोग्राफी	रु. 15000/-
(4) न्यूरो सर्जरी	रु. 3,00,000/-
(5) केन्सर रोग	रु. 4,00,000/-
(6) कांकलियर इम्प्लान्ट	रु. 5,20,000/-
(7) लीवर ट्रान्सप्लान्ट/हिप रिप्लेसमेन्ट	रु. 4,00,000/-

(8) विकलांग शासकीय सेवकों को केलिपर, कृत्रिम अंग, विकृत पैर के जूते, विकलांग पत्तियाँ, गर्दन की कालर आदि आवश्यक उपकरण शासन के व्यय पर दिये जायेंगे।

(नियम 7 (1), (2) एवं (3))

टीपः- उक्त रक्त परीक्षण में सी. टी. स्केन भी सम्मिलित है। इसका परीक्षण करने हेतु ग्वालियर कैंसर संस्थान तथा भोपाल मेडिकल सेंटर (यूनाइटेड ग्रुप भोपाल एवं जबलपुर स्थित केन्द्र का) मान्यता प्रदान की गई है। यह मान्यता निम्नलिखित शर्तों पर तदर्थ रूप से एक वर्ष के लिए दी गई है-

(1) प्रतिपूर्ति श्रेणी एक के शासकीय सेवकों को 80% श्रेणी दो शासकीय सेवकों को 85% एवं श्रेणी तीन एवं चार के शासकीय सेवकों क 90% होगी। शेष राशि शासकीय सेवक को स्वयं वहन करना होगी।

(2) जिस शासकीय सेवक या परिवार के सदस्य को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत उपचार के लिए पात्रता है, उसे शासकीय सेवक की पदस्थापना के निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में कंसलटेंट को दिखाना होगा और कंसलटेंट द्वारा निदान की अत्यंत आवश्यकता के प्रमाण-पत्र की जाँच समिति करेगी, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के डीन तथा मेडिकल और सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष रहेंगे।

(14) सी. टी. स्केन की दरें निम्नानुसार होंगी-

(1) वीनस रिसर्च एण्ड स्केन सेन्टर भोपाल में म. प्र. शा. लो. स्वा. एवं परि. कल्याण विभाग क्र. 9-7-2006 दि. 4-7-06 सी. टी. स्केन 825/- अदर बाडी पार्टस के लिये 1125/- से निर्धारित की है।

टीप- एक वर्ष की मान्यता की अवधि को बढ़ाकर अब आगामी तीन वर्षों के लिए और मान्यता म. प्र. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2/17 मे.-4, दिनांक 19-3-91 द्वारा प्रदान की गई है। इसके साथ ही युनाइटेड ग्रुप के ग्वालियर तथा इन्दौर केन्द्र को भी इन्हीं शर्तों पर शासकीय सेवकों को सी. टी. स्केन के लिए तदर्थ रूप से उल्लिखित पूर्व शर्तो व दरों पर मान्यता प्राप्त की गई है।

Scanned by CamScanner

(8) चिकित्सा देयकों को भुगतान हेतु प्रस्तुत करने की अवधि-

(अ) चिकित्सा देयक .इस हेतु निर्धारित फार्म पर तैयार किया जाना चाहिए। फार्म दो में संबंधित चिकित्सक द्वारा प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर कराकर नियंत्रण अधिकारी को 6 माह के अंदर प्रस्तुत करना चाहिए। जहाँ खरीदी गई दवाएँ पी. व्ही. एम. एस. सूची में सम्मिलित नहीं है, वहाँ प्रमाण पत्र संबंधित चिकित्सक के हस्ताक्षर के अलावा उपरोक्त कंडिका 7 में वर्णित प्रति हस्ताक्षरकर्ता डॉक्टर्स का प्रति हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

(ब) म.प्र. वित्तीय शक्तियों की पुस्तक भाग-1 के खंड II विन्दु 2.1 अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे जो 6 माह की समयावधि में प्रस्तुत होकर दिये गये हैं परन्तु एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिये स्थगित रखा गया है के भुगतान की स्वीकृति के अधिकार अव कार्यालय प्रमुख और (कार्यालय प्रमुख के मामले में) नियंत्रण अधिकारी प्रदत्त कर दिये गए है (1.1.2013 से लागू)। किन्तु (1) शक्तियों का उपयोग आवश्यकता की स्थिति में केवल तभी किया जाना चाहिए जव स्थिइतयाँ कर्मचारी के नियंत्रण के वाहर रही हो। (ii) स्वीकृति आदेश में विलम्व के कारणों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

खण्ड II के विन्दु 2.2 अनुसार कालातीत चिकित्सा दावे (6 माह के वाद प्रस्तुत) प्रस्तुत करने की स्वीकृति भी अव कार्यालय प्रमुख द्वारा दी जा सकती है। यह स्वीकृति अपवादात्मक और स्वीकृति आदेश में विलम्ब के कारणओं का स्पष्ट उल्लेख करने की शर्त पर ही दी जा सकेगी।

(देखें वित्तीय शक्तियों की प्रत्यायोजन पुस्तक 2012 खण्ड II का 2.1 एवं 2.2)

(9) चिकित्सा देयकों की जाँच एवं अभिलेख का संधारण-

प्रत्येक नियंत्रण अधिकारी को एक पंजी संधारित करना चाहिए जिसमें चिकित्सा का पूर्ण विवरण दर्ज रहे। प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक-एक पृष्ठ देना चाहिए, जिससे सुगमता से यह पता चल सके कि अमुक कर्मचारी ने वर्ष में कितनी राशि प्राप्त की है। पंजी में निम्न कालम रखे जाएँ-

(1) मरीज का नाम, उम्र तथा शासकीय कर्मचारियों से रिश्ता; (2) बीमारी की अवधि; (3) बीमारी का नाम; (4) राशि; (5) मेडिकल स्टोर का नाम, कैशमेमो क्र. एवं

(6) चिकित्सालय तथा चिकित्सक का नाम; (7) कार्यालय में देयक प्रस्तुत करने का दिनांक; (8) देयक स्वीकृति का दिनांक; (9) सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर।

(म. प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग क्र. 4851/1858/XVII/Med. दिनांक 8-10-1976)

(10) चिकित्सा देयक पर द्वितीय अभिमत के संबंध में

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित क्र. एफ 9-9-2013-सत्रह

Scanned by CamScanner

मेडि-1, भोपाल दिनांक 05 दिसम्बर 2013 द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 में निम्नलिखित और संशोधन किये गये हैं। छायाप्रति संलग्न है। इसे विभाग वेबसाइट www.health.mp.gov.in सेडाउनलोड किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित संशोधन के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न- राजपत्र की छायाप्रति

(संचा.स्वा.से.क्र. 4/एम.आर./मान्यता/सेल-3/14/31 दिनांक 8 जनवरी 2014)

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर, 2013

क्र. एफ-9-9-2013-सत्रह-मेडि-1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 7 में-

(1) उप नियम (1) के खण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्-

"(1) प्राधिकृत परिचारक द्वारा विहित की गई औषधियों के क्रय में उपगत व्ययः

परन्तु-

(1) यदि कोई सरकारी कर्मचारी, जो बाह्य रोगी के रूप में एक वर्ष में चार बार या लगातार तीन माह तक रुपये 1000/- (रुपये एक हजार केवल) प्रतिमाह से अधिक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल स्वयं के या उसके परिवार के किसी सदस्य के उपचार के संबंध में प्रस्तुत करता है, तो नियंत्रण प्राधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से द्वितीय अभिमत प्राप्त करेगा तथा अनुकूल सिफारिश प्राप्त होने पर ही चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल पास करेगा। किसी भारतीय चिकित्सा पद्धति या होम्योपैथी पद्धति से उपचार के मामले में द्वितीय अभिमत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के बजाय यथास्थिति संभागीय अधिकारी, आयुर्वेद या भारसाधक जिला आयुर्वेद अधिकारी से लिया जाएगा।

Scanned by CamScanner

(2) यदि किसी एक वर्ष में किसी सरकारी कर्मचारी से चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार केवल) से अधिक के बिल प्राप्त हों तो नियंत्रण प्राधिकारी उक्त सीमा से अधिक राशि के ऐसे समस्त बिलों की जांच एक चिकित्सा बोर्ड से कराएगा, जिसमें यथास्थिति संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित बीमारी के विशेषज्ञ, संभागीय अधिकारी, आयुर्वेद या जिले के भारसाधक जिला आयुर्वेद अधिकारी सम्मिलित होंगे और ऐसे बिल नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा, बोर्ड की सिफारिश पर ही पास किए जाएंगे।

(3) यदि एक वर्ष में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की राशि रुपये 25000/- (रुपये पच्चीस हजार केवल) से अधिक हो तो उक्त सीमा से अधिक राशि के बिलों की जांच एक बोर्ड द्वारा की जाएगी जिसमें यथास्थिति संचालक, चिकित्सा सेवाएं, संचालक, चिकित्सा शिक्षा, संचालक, भारतीय चिकित्सा-पद्धति एवं होम्योपैथी सम्मिलित होंगे और ऐसे बिल नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा उक्त बोर्ड की सिफारिश के अनुसार ही पास किए जाएंगे।

उक्त उपबंध-

(क) अंतर्वासी (इनडोर) रोगियों; तथा

(ख) उन रोगियों से, जो ऐसे रोग से पीड़ित हों, जिसके बारे में संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने विहित प्रोफार्मा में यह प्रमाण-पत्र जारी कर दिया हो कि उस रोग के लिये उपचार लंबे समय तक चलना अपेक्षित है या चलने की संभावना है, संबंधित प्रतिपूर्ति बिलों के मामले में लागू नहीं होगी।

टिप्पणी- ऐसा प्रमाण-पत्र एक समय में एक वर्ष से अधिक कालावधि के लिये जारी नहीं किया जाएगा किन्तु उसका समय-समय पर ऐसी कालावधि के लिये जो आवश्यक हो, नवीनीकरण किया जा सकेगा जो एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उसके द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्रों की विशिष्टियां अंतर्विष्ट करने वाला एक रजिस्टर, ऐसी रीति में, जैसी कि सरकार द्वारा विहित की जाए, रखेगा।

(2) विद्यमान प्ररूप दो के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात्-

Scanned by CamScanner

प्ररूप-दो

ऐसी औषधियां/जांचें जो चिकित्सालय में निःशुल्क उपलब्ध नहीं हैं

[नियम 8 (2) देखिए]

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पत्नी/ पुत्री श्री ..... जो कि ..... में नियोजित हैं दिनांक ..... से दिनांक .....तक अंतर्वासी/बाह्यरोगी के रूप में ..... चिकित्सालय में ..... (रोग का नाम) के लिये मेरे उपचार रहे/रहीं और इस संबंध में मेरे द्वारा निम्नलिखित औषधियां/जांचें विहित की गईं। ये औषधियां/जांचें, चिकित्सालय में निःशुल्क उपलब्ध नहीं हैं। ये औषधियां/जांचें उपरोक्त शासकीय कर्मचारी के उपचार के लिये नितान्त आवश्यक थीं।

अनुक्रमांक	औषधि का नाम	राशि
(1)	.....	.....
(2)	.....	.....
(3)	.....	.....

अनुक्रमांक	जांचों का नाम	राशि
(1)	.....	.....
(2)	.....	.....
(3)	.....	.....

- - - - -

विषय- म.प्र. भवन नई दिल्ली की स्थापना में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार पर हुये व्यय के चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों पर द्वितीय अभिमत दिये जाने विषयक।

संदर्भ- आपका पत्र क्रमांक 133/म.प्र.भ./2014, दिनांक 15-01-2014.

उपरोक्त विषय संदर्भ में आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि म.प्र. भवन नई दिल्ली में शासकीय चिकित्सक नहीं होने के कारण अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चिकित्सा देयक जिनमें लम्बी बीमारी के उपचार के चिकित्सा देयक भी सम्मिलित होते हैं संचालनालय को द्वितीय अभिमत हेतु भेजे जाते हैं तथा इन देयकों के निराकरण में अत्यधिक विलम्ब भी होता है।

उक्त असुविधा दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्र. 9-9-2013-सत्रह-मेडि-1, भोपाल दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 में किये

Scanned by CamScanner

विशिष्ट प्रकरणों के डॉक्टर की सलाह पर मरीज को हवाई जहाज से ले जाया जा सकता है। इस व्यय के स्वीकृति के अधिकार प्रशासकीय विभाग को है। वि. वि. क्र. जी 3/2/94/ सी. आर. दि. 9-1-95।

नोटः- शासन ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों पर हस्ताक्षर करने हेतु चिकित्सा अधिकारियों के लिये 15 दिन की समय सीमा पत्र क्रमांक लो. स्वा. एवं प्र. क्र. एफ. 2-39-93/17 मेडि 4/दिनांक 6-10-94 द्वारा निर्धारित की है।

(12) पेंशन भोगियों को चिकित्सा सुविधा-

राज्य शासन के निर्णय अनुसार सभी श्रेणियों के पेंशन भोगियों, जिसमें अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी तथा उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश भी सम्मिलित हैं, को उनकी पत्नी, अवयस्क बच्चों की राज्य शासन के चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सोपचार, नुस्खे में लिखी दवाइयों की पूर्ति, पेथालाजी जाँच, परीक्षण तथा गंभीर परिस्थितियों में विशिष्ट उपचार भी प्राप्त हो सकेगा।

(2) मेडिकल सिविल सर्विस अन्टेन्डेन्ट रूल्स, 1958 में दिए गए उपचार की परिभाषा में 'पेस मेकर' आदि उपचार की परिभाषा में नहीं आते। पेंशन भोगी कर्मचारियों को विशेष उपचार के अंदर पेस मेकर आवश्यक हो तो जिस चिकित्सालय में इलाज हो रहा है तथा उस विषय के विशेषज्ञ की अनुशंसा पर यह सुविधा संबंधित चिकित्सालय द्वारा ही दी जावेगी।

(3) पेंशन भोगी को निम्न सुविधा प्राप्त होगी-

(1) प्रायवेट वार्ड में भर्ती पर 50% चार्ज वसूल होगा।

(2) पेंशनर को इंट्रा आक्यूलर लेंस निःशुल्क लगाया जावेगा।

(3) चिकित्सा पर्चे पर चिकित्सालय द्वारा लिखी दवाएँ अस्पताल में उपलब्ध न होने पर दुकान से सीधी सप्लाय का आदेश दिया जा सकेगा।

(4) अस्पताल में भरती के समय लोकल परचेस आर्डर द्वारा दवाएँ उपलब्ध कराई जावेगी।

- - - - -

Scanned by CamScanner